



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232837
CG-DL-E-24012022-232837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]
No. 287]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/ MAGHA 4, 1943

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2022

का.आ. 295(अ.).—भारत सरकार ने, पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग की वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम, 1987) की धारा 4 की उप-धारा (1) तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के तहत सं. सा.का.नि. (बी) द्वारा जारी नियमों के नियम 3(क) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित संरचना के अनुसार स्थायी सलाहकार समिति के गठन का निर्णय लिया है:-

i.	सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
ii.	सचिव, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों	सदस्य
iii.	सचिव, उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों	सदस्य
iv.	सचिव, वस्त्र विभाग, भारत सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों	सदस्य
v.	सचिव, रसायन व पेट्रो-रसायन विभाग, भारत सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों	सदस्य
vi.	सचिव, कृषि व सहकारिता विभाग, भारत सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों	सदस्य

vii.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों	सदस्य
viii.	सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों	सदस्य
ix.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
x.	पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
xi.	संयुक्त सचिव (पटसन), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	संयोजक-सदस्य

2. यह स्थायी सलाहकार समिति पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के अनुसार पटसन सामग्री में पैकेजिंग के मानदंडों की सिफारिश करेगी।

3. उपर्युक्त गठित स्थायी सलाहकार समिति की वैधता इस संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

[फा. सं. 9/1/2016-पटसन]

संजय शरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 19th January, 2022

S.O. 295(E).—The Government of India, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (JPM Act, 1987) and also under Rule 3(a) of the Rules issued vide No. G.S.R. (B) under the JPM Act, 1987 have decided to constitute the Standing Advisory Committee (SAC) as per the following composition:—

(i)	Secretary, Ministry of Textiles, Government of India	Chairman
(ii)	Secretary, Department of Food and Public Distribution, Government of India or his Representative not below the rank of Joint Secretary	- Member
(iii)	Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India or his Representative not below the rank of Joint Secretary	- Member
(iv)	Secretary, Department of Expenditure Government of India or his Representative not below the rank of Joint Secretary	- Member
(v)	Secretary, Department of Chemicals and Petro-Chemicals, Government of India or his Representative not below the rank of Joint Secretary	- Member
(vi)	Secretary, Department of Agriculture and Cooperation, Government of India or his Representative not below the rank of Joint Secretary	- Member
(vii)	Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his Representative not below the rank of Joint Secretary	- Member
(viii)	Secretary, Ministry of Commerce, Government of India or his Representative not below the rank of Joint Secretary	- Member
(ix)	ASF&A, Ministry of Textiles, Government of India	- Member
(x)	Jute Commissioner, Ministry of Textiles	- Member
(xi)	Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Govt. of India	-Member- Convener

2. The SAC will recommend the norms of packaging in jute materials, as per the JPM Act, 1987.

3. The validity of the aforesaid constituted SAC will be for a period of three years from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India.

[F. No. 9/1/2016-Jute]
SANJAY SHARAN, Jt. Secy